न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण (जिला. पाली)

लोक अदालत / केम्प कोर्ट 2015

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 74/2015

वादी :-

1. भोजाराम पुत्र घेवरराम
जाति-गुर्जर, निवासी-राणीवाल,
तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. राजस्थान सरकार जरिए
तहसीलदार, जैतारण
तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकार अधिनियम, 1955 तारीख रजू: 22/05/2015

उपस्थित: 1. वादी स्वयं उपस्थित ।
2. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।

-:: निर्णय ::- दिनॉक:- 22/05/2015

राज्य सरकार के आदेशानुसार अटल सेवा केन्द्र - बेड़कलां पर आयोजित ''लोक अदालत / केम्प कोर्ट'' में वादी ने एक राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88, एवं 92'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया हैं कि सरहद मौजा-राणीवाल पटवार मण्डल-बेड़कला, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 422/59 एवं 423/59 कुल किता-2 कुल रकबा 15-00 बीघा किस्म बारानी दोयम की भूमि आई हुई हैं। जमाबन्दी सम्वत् 2051 से 2054 के खाता संख्या 36 में नामान्तरकरण संख्या 438 दिनांक 29/04/1994 में घेवरराम के वारिसान के नाम भीया मौना मीसा पूसा पि0 घेवरराम, घेरकी पत्नि घेवरराम दर्ज किया गया। उक्त भूमि में वादी का गलत दर्ज नाम मीसा पुत्र घेवरराम दर्ज हैं, जो वादी का बोलता नाम था। जबकि वादी का वास्तविक नाम भोजाराम पुत्र घेवरराम सही हैं। वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की ताईद में दस्तावेजात आधार कार्ड संख्या 636950299824 की छाया प्रति भी प्रस्तुत की जिसमें भी वादी का नाम वास्तविक रूप से भोजाराम होना बखूबी साबित होता हैं अर्थात् जिससे वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि होती हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार किये जाने एवं वादी का वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम मीसा पुत्र घेवरराम के स्थान पर भोजाराम पुत्र घेवरराम दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 22/05/2015 को मजमा-ए-आम में की गई जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का-बेड़कलां में अंकित किया कि ग्राम-राणीवाल के घेवरराम पुत्र देवाराम जाति-गुर्जर के चार पुत्र हैं यथा भीयाराम, भोजाराम, मीसाराम व पूसाराम ही हैं। इनके अलावा स्वर्गीय घेवरराम गुर्जर के अन्य कोई पुत्र नहीं हैं। भोजाराम

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

पुत्र घेवरराम को आम बोलचाल में मीसाराम भी कहते थे, मिसाराम व भोजाराम नाम एक ही व्यक्तिके हैं। जिससे मीसा पुत्र घेवरराम दर्ज गलत नाम के स्थान पर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी का वास्तविक नाम भोजाराम पुत्र घेवरराम दुरूस्त दर्ज किया जाना उचित दर्शाया हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। मजमा-ए-आम लोक अदालत शिविर-बेंड़कलां में जानकारी भी प्राप्त की गई। प्रस्तुत जांच रिपोर्ट मजमा-ए-आम भू0अ0निरीक्षक व पटवारी-बेड़कलां तथा मौतबिरान एवं सरपंच बेंड़कला तथा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड संख्या 636950299824 अनुसार मीसा गलत रूप से दर्ज होना तथा वादी का वास्तविक नाम भोजाराम पुत्र घेवरराम होना बखूबी साबित हैं। जिससे वादी का वाद माफिक वाद दिनांक 22/05/2015 को प्रस्तुत मजमा-ए-आम जांच रिपोर्ट एवं दस्तावेजात स्वीकार किया जाना तथा वादी के गलत दर्ज नाम मीसा पुत्र घेवरराम गुर्जर निवासी-राणीवाल के स्थान पर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वास्तविक सही नाम भोजाराम पुत्र घेवरराम दुरूस्त करवाया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक वाद पत्र, मजमा-ए-आम जांच रिपोर्ट दिनांक 22/05/2015 एवं दस्तावेजात अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री वहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-राणीवाल पटवार मण्डल-बेंड़कला, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में स्थित खसरा नम्बर 422/59 एवं 423/59 कुल किता-2 कुल रकबा 15-00 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के गलत दर्ज नाम मीसा पुत्र घेवरराम के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम भोजाराम पुत्र घेवरराम दुरूस्त रूप से दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर शामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला पाली (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 22/05/2015 को आयोजित लोक अदालत / कैम्प कोर्ट 2015 शिविर अटल सेवा केन्द्र बेंड़कलां में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला पाली (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

इजलास :- श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

वादी	प्रतिवादीगण
1. भोजाराम पुत्र घेवरराम जाति-गुर्जर, निवासी-राणीवाल, तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)	1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, जैतारण तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकार अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 74/2015

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी स्वयं वादी मिनजानिब मुद्धई व प्रतिवादी संख्या. 2 मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक वाद पत्र, मजमा-ए-आम जांच रिपोर्ट दिनांक 22/05/2015 एवं दस्तावेजात अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-राणीवाल पटवार मण्डल-बेंड़कला, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में स्थित खसरा नम्बर 422/59 एवं 423/59 कुल किता-2 कुल रकबा 15-00 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के गलत दर्ज नाम मीसा पुत्र घेवरराम के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम भोजाराम पुत्र घेवरराम दुरूस्त रूप से दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबतः.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र बेंड़कलां में आज तारीख 22/05/2015 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड, जिला-पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः–	Nil		मिजानः–	Nil	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

उपखण्ड अधिकारी
बेदारण (पाली)

Scanned by CamScanner